संख्या-16/2026/आई/1202182/2026/004-23-9002(002)/71/2025

प्रेषक,

सोमनाथ
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ:: दिनांक 10 जनवरी, 2026**

विषय-सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने के पश्चात अनुदान सं0-58 में नाबार्ड योजनान्तर्गत जनपद जौनपुर के 14 सम्पर्क मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार अनुदान सं0-58 में नाबार्ड योजनान्तर्गत जनपद जौनपुर के 14 सम्पर्क मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 53.012 लाख की धनराशि को कार्य पर भारित करते हुए आई0ओ0सी0एल0 को अग्रिम में भुगतान किया गया था और उक्त धनराशि को कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप आई0ओ0सी0एल0 से वापस प्राप्त कर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया गया है, के समतुल्य धनराशि रू0 53,01,200/-(रूपये तिरपन लाख एक हजार दो सौ मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुन: अवमुक्त किए जाने की अधोलिखित विवरण/शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	मूल शासनादेश	कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा की गयी	राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	883/31पी0जे0(आ0)/आर0एस0डी0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	प्रयागराज-गोरखपुर राज्य मार्ग किमी 7 के किमी 96 से दायें घनश्यामपुर-लखनेपुर मार्ग के आगे जोखापुर विद्यालय मार्ग के किमी 3 से दांये बेसहूपुर खास होते हुए गौरा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य1	76.14	66/2020/287/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/2019, दिनांक 19.03.2020	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	1.228
2	883/31पी0जे0(आ0)/आर0एस0डी0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	कुन्डहा सुजानगंज मछलीशहर मडियाहूं केराकत(एम0डी0आर0-151ई0) के किमी0 9 से भैंसहा रामपुर मार्ग से भैंसहा रामपुर के चमरिया सम्पर्क मार्ग।	164.85	52/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	25.004
3	883/31पी0जे0(आ0)/आर0एस0डी0-5/2025,	प्रा0खं0 जौनपुर	लुम्बिनी दुद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम सरायख्वाजा पूरब का पुरा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण।	88.07	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	2.950

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	दिनांक 14.08.2025						
4	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	लखनऊ-मांझीघाट राज्य मार्ग के किमी 261 के दांये से निकलकर पचहटिया निषाद बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	96.46	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	3.230
5	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 के किमी 200 से बायें मुरादपुर कोटिला सम्पर्क मार्ग के किमी 1 से बायें उसरा बाजार सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण।	53.48	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	1.790
6	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 के किमी 197 से बायें मुरादपुर रूपचन्दपुर सम्पर्क मार्ग के किमी 2 से दायें सोमवा बस्ती मार्ग के शुरूआत से मुरादपुर कोटिला सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण।	54.10	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	1.810
7	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	जे0एम0के0 मार्ग(ओ0डी0आर0) से निकलकर ग्राम कैराडीह में हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण।	53.70	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	1.800
8	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	जोगीबांध चकेसर अतरडीहा(ओ0डी0आर0) मार्ग के किमी 4 के बांये गोल्हागौर बारापुर सम्पर्क मार्ग।	55.27	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	1.850
9	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	पट्टी सरपतहा(ओ0डी0आर0) मार्ग के किमी 4 से दांये ईशापुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	57.33	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	1.920
10	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	रामनगर अर्सिया मार्ग(ओ0डी0आर0) के किमी 4 से अतरौरा खास सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	56.28	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	1.890
11	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	शिकारपुर बैजारामपुर (ओ0डी0आर0) के किमी 4 से छबीलेपुर छुन्छा मार्ग के किमी 3 से हरबसपुर बैजनाथ का पुरवा बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण।	71.71	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	2.250
12	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	शिकारपुर बैजारामपुर (ओ0डी0आर0) के किमी 4 से छबीलेपुर छुन्छा मार्ग के किमी 3 से हरबसपुर कन्हैया प्रधान का पुरवा बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण।	71.71	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	2.200
13	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025, दिनांक 14.08.2025	प्रा0खं0 जौनपुर	जौनपुर मल्हनी खुटहन(ओ0डी0आर0) के किमी 16 से बांये मछलीपट्टी सम्पर्क मार्ग के किमी 2 से मछलीपट्टी खास सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण।	73.97	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	2.200
14	883/31पी0 जे0(आ0)/ आर0एस0डी 0-5/2025,	प्रा0खं0 जौनपुर	बटाऊबीर-मई-नौपेड़वों (ओ0डी0आर) के किमी 3 से दायें मछलीगॉव खास सम्पर्क मार्ग के	89.06	02/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड	संख्या-DL00050, दिनांक 21.04.2023	2.890

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	दिनांक 14.08.2025		आगे किमी 3 से चक मोलनापुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण।		(स0मा0)/2020, दिनांक 01.03.2021		
						योग	53.012

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपभोग/व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित किया जय कि उक्त धनराशि वास्तविक रूप से राजकोष में जमा हो गयी है और राजकोष में जमा की गयी धनराशि उसी कार्य की है, जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कर प्राप्त कर लिया जाय।

(2) यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑयल कम्पनियों से वापस ली गयी धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्य पर किया जाए जिस कार्य पर प्रथमतः उसे भारित कर भुगतान किया गया है। किसी भी दशा में मूल कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर इसका व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे नियमानुसार कार्य के सुसंगत प्राप्ति मद में शासन के पक्ष में कोषगार में जमा कर दी जाए।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशी/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि से उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासयकी एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिवन्ध का अक्षरशः अनुपात सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एस० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के शासनादेश संख्या-10/2022/वी-1-345/दस-2022. दिनाक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाय संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शती का अनुपालन सुनिचित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत आदेश की प्रति कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-I/952140/2025, दिनांक 02-05-2025 संख्या-I/962076/2025. दिनांक 14-05-2025 की प्रति सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) को प्रेषित की जाय। महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखों के साथ विभाग द्वारा आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि के चालान की प्रति भी अवश्य प्रेषित की जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 53,01,200 (रुपये तिरेपन लाख एक हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।